



संख्या- 530/15-7-161561/96

प्रश्न,

श्री अशोक गांगुली,
श्रीमता लक्ष्मि,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षण
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 समुदाय केन्द्र,
श्रीमति विहार, नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

पत्रांक: दिनांक: 19 मार्च, 1997

विषय:- राष्ट्रीय कृषक परिषद स्वन, केला रोड, उत्तराखण्ड, मुरादाबाद को लॉन्गवॉल्वरकॉर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापूर्ति प्रमाण पत्र दिख जाने के सम्बन्ध में ।

सोदय,

अपरिचित विषय पर मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि राष्ट्रीय कृषक परिषद स्वन, केला रोड, उत्तराखण्ड, मुरादाबाद को लॉन्गवॉल्वरकॉर्ड नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवेदन नहीं है :-

- 111- विद्यालय को संबन्धित लॉन्गवॉल्वरकॉर्ड का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियोजित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय शिक्षा परिषद से प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/श्रीमति विहार टि इंजिन स्कूल तटी/केन्द्रीय कर्माभिमेसन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151- सेवा के कठिक एवं निम्नोत्तर कर्मारियों को राजकीय महावता द्वारा विभिन्न तहसीलों के कर्मारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान और अन्य भातों नहीं दिये जायेंगे ।

CERTIFIED TRUE COPY
PRINCIPAL
Kishna Sr. Sec. Public School
to C.B.S.E. (Delhi)
---2/---

161- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें तदावका प्राप्त प्रमाणाधीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

171- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें, तंत्रिका अन्तर्गत बतलाने हरेगी।

181- विद्यालय का रिजर्वट निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृतों में रखा जायेगा।

191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णमुपोदन के बिना शीर्ष परिवर्तन/संगीधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तंत्रिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

111- पूर्व में लिये जा रहे प्रवेश शुल्क व कागज बनी सब नहीं लिया जा रहा है।

121- विद्यालय भवन में अविद्यमान निर्धारित शकलके माप के सब निर्मित किये जायेंगे।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तंत्रिका के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय से पाया जाता है कि तंत्रिका द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सुक या अविधायता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उचित उपाय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त के निहाय जायेगा।

अन्तर्गत,

।अधीक मांश्री।
संयुक्त सचिव।

सूचना संख्या- 530111/15-7-161561/96, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवागमन कार्यवाही हेतु भेजा है :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- 4- निरीक्षक, जॉन्स नगरातीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- उपनिषद, राष्ट्रीय कृषि संशोधन संस्थान, डेल्टा रोड, अमरौली, मुरादाबाद।

आशा है,

[Signature]
।अधीक मांश्री।
संयुक्त सचिव।

TRUE COPY
S.S. Dahiya